



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / अयोग्य और निष्कासित/2026 नीति परिपत्र सं. 16.17 / 2026 दिनांक 08th अगस्त, 2026

{{ई-ऑफिस फाइल सं. NHA/13058/01/2019/ Debarment Details (कम्प्युटर सं. 93049 पर लिया गया निर्णय)}}

NHA/Policy Guidelines/Non-Performer & Debarred /2026

Policy Circular No. 16.17/ 2026 dated 08th August, 2026

{{Decision taken on E-Office File No. NHA/13058/01/2019/Debarment Details (Comp No. 93049)}}

विषय: भाराराप्रा वेबसाइट पर विवर्जित/ब्लैकलिस्टेड कंसेसनेयर्स, संविदाकारों, परमर्शदाताओं और व्यक्तियों की सूचियों को अद्यतन और अनुरक्षित करना।

Sub: Updating/Maintaining on NHA Website the lists of Debarred /Blacklisted Concessionaires/ Contractors, Consultants and Individuals. reg:-

संदर्भ: इस संबंध में पूर्ववर्ती नीतियां -

- नीति दिशानिर्देश संख्या 16.8/2017 दिनांक 22nd दिसंबर, 2017
- नीति दिशानिर्देश संख्या 16.10/2019 दिनांक 03rd अप्रैल, 2019
- नीति दिशानिर्देश संख्या 10.2.19/2019 दिनांक 05th अगस्त, 2019

Ref: Earlier policies on the matter -

- Policy Guidelines No. 16.8/2017 dt. 22nd December, 2017
- Policy Guidelines No. 16.10/2019 dt. 03rd April, 2019
- Policy Guidelines No. 10.2.19/2019 dt. 05th August, 2019

निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, इस विषय को गतिशील रूप से अद्यतन डैशबोर्ड डेटा लेक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जो ऐसी एजेंसियों और व्यक्तियों के विवरण को सत्यापित करने के लिए सूचना के एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य करता है जिन्हें भाराराप्रा परियोजनाओं के संबंध में विवर्जित, ब्लैकलिस्ट या गैर-निष्पादक घोषित किया गया है। यह डैशबोर्ड भाराराप्रा वेबसाइट से भी जुड़ा हुआ है और इसे सत्यापन और निर्णय-समर्थन उद्देश्यों के लिए सभी संबंधितों को वास्तविक समय में, अद्यतन जानकारी (खोजने योग्य तरीके से) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

In order to streamline the decision-making process dynamically updated dashboard on the subject is made available on the Data Lake portal, which serves as the single source of information for verifying the details of such Agencies and Individuals who have been debarred, blacklisted or declared non-performers in connection with NHA Projects. This dashboard is also linked to the NHA website and is designed to provide real-time, updated information (in searchable manner) to all concerned for verification and decision-support purposes.

2. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सभी महाप्रबंधकों और परियोजना निदेशकों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाइयां की जानी आवश्यक हैं:

For effective implementation, the following actions are required to be performed by all GMs & PDs:

Contd.....2/-

2.1 मौजूदा विवरण के विरुद्ध परीक्षण
Checking against the existing details:

- A. डैशबोर्ड में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड या विवर्जित किए गए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के नाम की जांच करना।
Check Name(s) of any Individual or Agency already Blacklisted / Debarred in the dashboard.
- B. डेटा लेक पोर्टल में विवरण को तुरंत अद्यतन करें और यदि पहले से नहीं किया गया है, तो पैरा 2.2 का अनुपालन सुनिश्चित करें।
Update details in the Data Lake Portal immediately and ensure compliance of para 2.2, if not already done.

2.2 विवर्जित या ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों या व्यक्तियों की विवरण को अद्यतन करना:
Updating the details of Debarred / blacklisted agencies or individuals:

- A. यदि कोई एजेंसी या व्यक्ति विवर्जित या ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो संबंधित परियोजना निदेशक या महाप्रबंधक को डेटा लेक पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित माइयूल में तुरंत अनिवार्य रूप से विवरण भरना होगा।
If an Agency or an Individual is Debarred/ Blacklisted, then concerned PD / GM to mandatorily fill-in the details immediately in the respective modules available on the Data Lake Portal.
- B. इसी प्रकार, यदि ब्लैकलिस्टिंग या विवर्जन को समय से पहले रद्द कर दिया गया है, तो संबंधित अधिकारी महाप्रबंधक या परियोजना निदेशक डेटा लेक में ऐसा विवरण भरेंगे जिससे डैशबोर्ड में अद्यतन लाइव स्थिति ठीक से प्रदर्शित हो सके।
Similarly, in case blacklisting / Debarment has been prematurely revoked, then the concerned Officer (GM / PD) shall fill in such details in Data Lake so that updated live status is properly reflected in the dashboard.

3. सूचना के इस एकमात्र उद्गम की परिशुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए डेटा लेक पोर्टल में सूचना का समय पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, सभी महाप्रबंधकों और परियोजना निदेशकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आवश्यक विवरण अद्यतन रहें। यदि कोई संबंधित भाराराप्रा अधिकारी ऊपर पैरा 2 में दी गई गतिविधियों को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली चूक या सूचना के अंतर और उसके बाद के परिणामों के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

The timely updating of information in the Data Lake Portal is essential for maintaining the accuracy and reliability of this single source of information. Accordingly, all GMs & PDs are requested to ensure that the requisite details under their jurisdiction remain updated. If any concerned NHAI Officer fails to perform activities at para 2 above, then he shall be held personally responsible for the lapses / information gap thus created and subsequent fallout.

4. जैसा कि दिनांक 02 जुलाई, 2026 की बैठक में इसी द्वारा निर्देशित किया गया है, विवर्जन से संबंधित सभी फाइलें, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद, डेटा लेक पर विवर्जन नोटिस को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित तकनीकी प्रभाग को रेटिंग सेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

As directed by EC in meeting dated 02nd July, 2026 all debarment-related files, after approval by the Competent Authority shall be routed through the Rating Cell before being forwarded to the concerned Technical Division to ensure timely uploading of the debarment notices on Data Lake.

Contd.....3/-



5. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुराने नीति दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित माने जाएंगे:

Further the following old Policy Guidelines stand superseded with immediate effect:

- a. संख्या 16.8/2017 दिनांक 22 दिसंबर, 2017
No. 16.8/2017 dt. 22 December, 2017
- b. संख्या 16.10/2019 दिनांक 03 अप्रैल, 2019
No. 16.10/2019 dt. 03 April, 2019
- c. संख्या 10.2.19/2019 दिनांक 05 अगस्त, 2019
No. 10.2.19/2019 dt. 05 August, 2019

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.


08/08/20

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

- 1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
- 2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
- 3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.